

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ4(ई)ए—1127/2013/अलेसे—गा/645

दिनांक :— ५.७.२०२२

कार्यालय आदेश

श्री अमित मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 11772) कार्यालय कृषि सिंक्षे.वि. एवं ज.उपो. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एन.टी.ए. द्वारा आयोजित यू.जी.सी. (नेट) परीक्षा दिसम्बर 2021 एवं जून 2022 (Merged Cycles) विषय वाणिज्य में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 2 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 3 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 4 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ4(ई)ए—1127/2013/अलेसे—गा/645

दिनांक :— ५.७.२०२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग / कार्यालय |
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय |
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |
4. संबंधित कार्मिक |


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ4(ई)ए—1127/2013/अलेसे—गा/646

दिनांक :— ५.७.२०२२

कार्यालय आदेश

श्री अमित मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 11772) कार्यालय कृषि सिं.क्षे.वि. एवं ज.उपो. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित एम.कॉम. (प्रीवियस) परीक्षा सत्र 2021–2022 में व्यवसाय प्रशासन विषय से स्वयं-पाठी विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

अधिकारी
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ4(ई)ए—1127/2013/अलेसे—गा/646

दिनांक :— ५.७.२०२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग / कार्यालय |
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय |
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |
4. संबंधित कार्मिक |

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ4(ई)एस—1736 / 2013 / अलेसे—गा / ६४५

दिनांक :— ५.७.२०२२

कार्यालय आदेश

श्रीमती/ सुश्री सरोज बिजारनियॉ, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 10805) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, धोद (सीकर) को पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा आयोजित एम.कॉम. (प्रीवियस) परीक्षा सत्र 2020–21 एवं एम.कॉम. (फाईनल) परीक्षा सत्र 2021–22 में ई.ए.एफ. एम. विषय से स्वयं-पाठी विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

झीराम
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ4(ई)एस—1736 / 2013 / अलेसे—गा / ६४५

दिनांक :— ५.७.२०२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय |
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय |
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |
4. संबंधित कार्मिक |

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)